



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:18399

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - ए संख्या - 2765/ 2026

कुमारी रुकैया बानो

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विभाग, लखनऊ के माध्यम से और 4

अन्य.

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अजय पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 7

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत हुए राज्य के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।
2. यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें संबंधित अधिकारी को याचिकाकर्ता के इलाज में हुए खर्च के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. राज्य के अधिवक्ता को 09.03.2026 के लिखित निर्देश दिए गए हैं, जिनकी एक प्रति अभिलेख पर ली गई है। इन निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता का प्रतिपूर्ति दावा उसे वापस कर दिया गया था क्योंकि इसे 27.12.2016 के सरकारी आदेश के प्रस्तर 11(ख) के तहत ज़रूरी 30 दिनों की अवधि के भीतर जमा नहीं किया गया था।

4. शासकीय अधिवक्ता को दिए गए लिखित निर्देशों में याचिकाकर्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को खारिज करने का कोई और कारण नहीं बताया गया है।

5. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने के कारण पहले ही लिखित निर्देशों के ज़रिए अभिलेख पर लाए जा चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय के **मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य** [एआईआर1978 एस.सी. 851] मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, बिना प्रति शपथपत्र मंगाए ही इस याचिका पर प्रवेश चरण पर ही सुनवाई की जा रही है।

6. दावा खारिज करने के आधारों के संबंध में, 27.12.2016 के शासनादेश, खासकर प्रस्तर 11(ख) (संशोधित) को देखने से पता चलता है कि कर्मचारी के इलाज के बारे में जानकारी **यथासंभव** इलाज शुरू होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारी को दी जानी चाहिए।

7. प्रावधान का संबंधित हिस्सा इस प्रकार है:-

"किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/ आपात स्थिति में या यात्रा पर किसी निजी चिकित्सालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। अंतःरोगी का उपचार आपात स्थिति में सी.जी.एच.एस. योजना के अधीन सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में निःशुल्क होगा। प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने के अलावा, यदि उपचार, राज्य के अन्य निजी चिकित्सालय में कराया जाता है, तो उपचार का शुल्क, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में यथा प्रचलित दर पर प्रतिपूर्णीय होगा और यदि रोग के उपचार की दर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में उपलब्ध नहीं है तो प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रचलित दरों पर की जायेगी। यदि उपचार प्राधिकृत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संविदाकृत चिकित्सालयों से भिन्न राज्य के बाहर निजी चिकित्सालयों में कराया जाता है तो उपचार की दर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रचलित दर पर प्रतिपूर्णीय होगी। प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में उपचार होने की दशा में उपचार की दर सी०जी०एच०एस० की दरों पर प्रतिपूर्णीय होगी परन्तु

(क) उपचारी चिकित्सक तात्कालिक/आपातकालिक दशा प्रमाणित करे।

(ख) रोगी या उसके सम्बन्धी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष को यथासंभव शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर सूचित कर दिया जायेगा।

(ग) आपात स्थिति की दशा में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाला व्यय भी प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य होगा।"

8. ऊपर बताए गए प्रावधान को देखने से ही यह साफ़ हो जाता है कि यह बात अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवल एक निर्देश है, क्योंकि इसमें यथासंभव अर्थात् 'जहाँ तक संभव हो' जैसे शब्द शामिल हैं।

9. क्या ऐसी शर्त को अनिवार्य माना जाए या केवल एक निर्देश, इस बात की जाँच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के आधार पर करनी होगी जो 'मे जॉर्ज बनाम विशेष तहसीलदार और अन्य' वाद में दिया गया था और (2010) 13 एस.सी.सी. 98 में प्रतिवेदित है। यह निर्णय इस प्रकार है:-

"25. इस मामले में कानून का सार यह है कि किसी प्रावधान को अनिवार्य घोषित करने के लिए यह देखना ज़रूरी है कि क्या उस प्रावधान का पालन न करने से पूरी कार्यवाही अमान्य हो सकती है या नहीं। कोई प्रावधान अनिवार्य है या केवल निर्देश देने वाला, यह बात कानून बनाने वाली संस्था (विधायिका) के इरादे पर निर्भर करती है, न कि उस भाषा पर जिसमें वह इरादा व्यक्त किया गया है। इस मामले की जाँच संबंधित कानूनी प्रावधानों के संदर्भ, विषय-वस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। न्यायालय यह पता लगा सकती है कि किसी प्रावधान की एक तरह से या दूसरी तरह से व्याख्या करने पर क्या नतीजा निकलेगा; क्या कानून में प्रावधानों का पालन न होने की स्थिति के बारे में कोई व्यवस्था है; क्या पालन न करने पर मामूली जुर्माना लगेगा या गंभीर परिणाम होंगे; और क्या किसी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



खास व्याख्या से कानून का मकसद ही खत्म या विफल हो जाएगा। अगर प्रावधान अनिवार्य है, तो उसका उल्लंघन करके किया गया कोई भी काम अमान्य माना जाएगा।"

10. मौजूदा तथ्यों और हालात में ऊपर बताए गए निर्णय को लागू करने पर यह साफ़ है कि न सिर्फ़ प्रावधान के शब्दों से, बल्कि उसके मकसद से भी ऐसा नहीं लगता कि किसी आवेदन को सिर्फ़ इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए कि वह इलाज शुरू होने के 30 दिन बाद दी गई थी। मकसद साफ़ है कि संबंधित प्राधिकारी को कर्मचारी के इलाज के बारे में जल्द से जल्द पता होना चाहिए। ऐसे हालात में, प्रस्तर 11(ख) में बताए गए प्रावधान को सिर्फ़ निर्देश देने वाला माना जाता है।

11. इस चर्चा को एक और नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि ये प्रावधान साफ़ तौर पर कर्मचारी को चिकित्सा इलाज पर हुए खर्च की भरपाई करने के लिए लाभकारी हैं। इसलिए, यह प्रावधान कर्मचारियों को कुछ फायदे देता है और एक सामाजिक सुरक्षा प्रावधान की तरह है, जिसे सिर्फ़ लाभकारी ही माना जा सकता है।

12. ऐसे किसी भी लाभकारी प्रावधान की व्याख्या का तरीका माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के.एच. नज़र बनाम मैथ्यू के. जैकब (2020) 14 एस.सी.सी. 126 वाद में बताया है, जिसका पालन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित और अन्य (2025) 2 एस.सी.सी. 787 वाद में इस तरह किया है:-

"9. इस न्यायालय ने के.एच. नज़र बनाम मैथ्यू के. जैकब, (2020) 14 एस.सी.सी. 126] मामले में ऊपर बताई गई बातों को दोहराया और कहा कि: (एस.सी.सी. पेज 135-36, प्रस्तर 11 और 13)

11. लाभकारी कानून के प्रावधानों की व्याख्या मकसद को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। [केरल फिशरमेन वेलफेयर फंड बोर्ड बनाम फैसी फूड, (1995) 4 एस.सी.सी. 341] कानून के मकसद को बढ़ावा देने के लिए उसकी व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए। [बॉम्बे आनंद भवन रेस्टोरेंट बनाम ईएसआईकॉर्पोरेशन, (2009) 9 एस.सी.सी. 61: (2009) 2 एस.सी.सी. (एल&एस) 573 और भारत संघ बनाम प्रभाकरण विजया कुमार, (2008) 9

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एस.सी.सी. 527 : (2008) 3 एस.सी.सी. (क्रि) 813] साथ ही, लाभकारी कानून के प्रावधानों की शब्द-दर-शब्द व्याख्या करने से बचना चाहिए। कानून बनाते समय विधायिका के इरादे को समझना न्यायालय का कर्तव्य है। एक बार जब यह इरादा पता चल जाए, तो कानून की व्याख्या उसके मकसद या काम के आधार पर की जानी चाहिए। [भारत सिंह बनाम नई दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, (1986) 2 एस.सी.सी. 614: 1986 एस.सी.सी. (एल&एस) 335]

13. किसी कानून की व्याख्या करते समय, सबसे पहले उस समस्या या कमी की पहचान की जानी चाहिए जिसे दूर करने के लिए वह कानून बनाया गया था, और फिर ऐसी व्याख्या अपनाई जानी चाहिए जो समस्या को खत्म करे और समाधान को बढ़ावा दे। [इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड बनाम संजय डालिया, (2015) 10 एस.सी.सी. 161: (2016) 1 एस.सी.सी. (सिव) 55] यह स्थापित कानून है कि लाभकारी या सामाजिक कल्याण कानूनों में छूट देने वाले प्रावधानों की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए। [शिवराम ए. शिरूर बनाम राधाबाई शांताराम कौशिक, (1984) 1 एस.सी.सी. 588] शिवराम ए. शिरूर बनाम राधाबाई शांताराम कौशिक [शिवराम ए. शिरूर बनाम राधाबाई शांताराम कौशिक, (1984) 1 एस.सी.सी. 588] मामले में यह देखा गया था कि लाभकारी कानून में बाहर रखने वाले प्रावधानों की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए ताकि कानून के मुख्य उद्देश्य को व्यापक दायरा दिया जा सके और धोखेपूर्ण आधारों पर इससे बचा न जा सके। इसी तरह, 'मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रिंग द क्राउन लैंड्स एक्ट बनाम एन.एस.डब्ल्यू. एबोरिजिनल लैंड काउंसिल' [मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रिंग द क्राउन लैंड्स एक्ट बनाम एन.एस.डब्ल्यू. एबोरिजिनल लैंड काउंसिल, 2008 एचसीए 48: (2008) 237 सीएलआर 285] मामले में, जस्टिस किर्बी ने कहा कि लाभकारी कानूनों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करने का सिद्धांत यह अनिवार्य बनाता है कि ऐसे कानूनों में अपवादों की व्याख्या संकीर्ण रूप से की जानी चाहिए।



13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 'ब्रह्मपाल उर्फ सम्मय और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी' वाद में, जो (2021) 6 एस.सी.सी. 512में प्रतिवेदित किया गया है, इस पहलू पर निम्नलिखित तरीके से विचार किया है:-

"20. इसलिए, उपर्युक्त प्रावधान एक लाभकारी कानून होने के नाते, इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। पक्षकारों के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी पहलुओं पर अनावश्यक जोर नहीं दिया जाना चाहिए..."

14. उपरोक्त चर्चाओं और प्रावधान के लाभकारी स्वरूप को देखते हुए, जिसे औचित्य की अवधारणा के साथ व्याख्यायित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे लाभकारी प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके, विपक्षी पक्षों ने अनुच्छेद 11 में उल्लिखित 30 दिनों की अवधि को अनिवार्य मानने में गलती की है।

15. शासनादेश में स्पष्ट रूप से इंगित इस पहलू को देखते हुए, विपक्षी पक्षों को याचिकाकर्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे पर विचार करना आवश्यक था, भले ही उपचार शुरू होने के 30 दिनों की अवधि के बाद सूचना दी गई हो, और इस न्यायालय की राय में, विपक्षी पक्षों ने केवल एक ऐसे आधार पर दावे को अस्वीकार करने में गलती की है, जो अनिवार्य नहीं है।

16. उपरोक्त के मद्देनजर, विपक्षी संख्या 5, अर्थात् जिला कमांडेंट, होम गार्ड्स, रायबरेली, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे पर शीघ्रता से पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता के चिकित्सा बिलों का सत्यापन इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर शीघ्रता से किया जाएगा। चिकित्सा बिलों का सत्यापन हो जाने पर, उनका वास्तविक भुगतान उसके दो सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।

17. उपरोक्त निर्देशों के साथ, याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

13 मार्च, 2026

केवीजी/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।